







RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer email: rorpcb.kishangarh@gmail.com

RPCB/RO KSG/PUB-79/37/9

Date: 13.01.2021

M/s Karni Granite,

Plot No. T-1, Opposite D Mart Sukhadiya Circle, Rama Vihar, Bhilwara

Sub.:- Public Hearing for Environmental Clearance for Mevdakalan Granite & Masonary Stone Mining Project, ML no. 65/2018, Area 1.7680 Hectare, Village Mevdakalan, Tehsil kekri, District Ajmer.

Ref.:- Office of district collector & Magistrate Ajmer letter no. 570 dated 12/01/2021.

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major national daily news paper (All editions) and one regional daily news paper (Hindi-All editions) in any case on or before 27/01/2021. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Rajeev Gandhi Seva Kendra, Lasadiya, Tehsil Kekri, Distrct Ajmer at 11.00 AM on 27/02/2021 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

Sd (Deepak Tanwar) Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.


2. The Additional District Collector(LC), Ajmer in compliance to your letter no. 570 dated 12/01/2021

Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

प्रस्पूर जिल्लाम् जिलाम् जिल्लाम् जिलाम् जिल्लाम् जिलाम् जिल्लाम् जिल्लाम्

Regional Officer







राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ, जिला अजमेर

राप्रनिम/क्षैका किश/राज/पीयूबी-79/

दिनांक:

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेवदाकलां ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन खनन परियोजना, मैसर्स श्री करणी ग्रेनाईट, उत्पादन क्षमता—240000 टी.पी.ए. (आर.ओ.एम.){ सेलेबल ग्रेनाईट— 120000 टी.पी.ए., सेलेबल मैसनरी स्टोन—108000 टी.पी.ए. एवं वेस्ट—12000 टी.पी.ए. कलस्टर क्षेत्रफल-13.0648 हेक्टेयर, खनन क्षेत्रफल-1.7680 हेक्टेयर, संख्या-65 / 2018, खसरा संख्या-48,49,52,53 एवं 3871 / 49 तहसील-केकड़ी, जिला-अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ-तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
- और चूंकि मैसर्स श्री करणी ग्रेनाईट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त 2. परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस. ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
- उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार 3 अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :--
 - 1. जिला कलक्टर, अजमेर।
 - 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - 3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - 4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
 - 5. तहसील केकडी, जिला-अजमेर।
 - 6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ / विकास / 2021 / 517 दिनांक 12.01.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 27/02/2021 को प्रातः 11.00 बजे, स्थान — राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला-अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

Deepale Lonwar. (दीपक तॅवर) क्षेत्रीय अधिकारी